

न्यायालय, समाहर्ता, अररिया


वाद संख्या-01/2018-2019


अंदर धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (SARFAESI Act), 2002

पंजाब नेशनल फारबिसगंज शाखा

बनाम

हेमन्त कुमार कच्छवल
 प्रो. मेसर्स श्री हनुमान कोक ट्रेडर्स
 पिता-घनश्याम दास कच्छवल
 सा0-कच्छवल कॉटेज, वार्ड सं0-4(N)
 सुल्तान पोखर, स्टेशन रोड, फारबिसगंज
 थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया

<p>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</p>	<p align="center">आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)</p>
<p>09.02.2021</p>	<p>विपक्षी की ओर से हाजिरी एवं इस वाद की कार्यवाही को खारिज करने हेतु एक आवेदन तथा सूची के अनुसार SA 98/2018 (श्री हनुमान कोक ट्रेडर्स बनाम मुख्य प्रबंधक-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सर्किल ऑफिस-रीकॉभरी डिभिजन, जी0एन0 रोड, दरभंगा एवं अन्य) में पीठासीन पदाधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, पटना के आदेश दिनांक-15.10.2018 की प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष को सुना। शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फारबिसगंज शाखा से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक-22.11.2018, विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक-09.02.2021, SA No. 98/2018 में पीठासीन पदाधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, पटना के आदेश दिनांक-15.10.2018 की प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि एवं अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>S.A. No. 98/2018 में पीठासीन पदाधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, पटना के आदेश दिनांक-15.10.2018 के मुख्य अंश का अवतरण निम्नलिखित है-</p> <p>" The SARFAESI Application filed by the SARFAESI applicant, is allowed and the entire SARFAESI Action including possession notice dated 05.06.2018 are set aside A copy of this order be given to the parties."</p> <p>चूंकि इस वाद की कार्यवाही के मुख्य आधार Possession Notice Under SARFAESI Act, 2002 एवं तद्आलोक में SARFAESI Action को सक्षम पीठासीन पदाधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, पटना के आदेश दिनांक-15.10.2018 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेश दिनांक-15.10.2018 के विरुद्ध पंजाब नेशनल बैंक, फारबिसगंज द्वारा अपील/पुनरीक्षण किये जाने का कोई सबूत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव इस वाद को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार इस वाद की कार्यवाही को बंद की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>समाहर्ता, अररिया</p>	<p align="right">  समाहर्ता, अररिया </p>

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
09.02.2021	<p>ज्ञापांक <u>1053</u> /विधि, अररिया, दिनांक <u>10/4</u> /2021</p> <p>प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, फारबिसगंज शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;">  प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया </p>	